भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

तीसगढ़ CHHATTISGARH G 886661

।। इकरारनामा ।।

इकरारनामा लिख दिया आज दिनांक 12-9-2015 को .... (जो इसके पश्चात् ठेकेदार कहे जावेगें) और नगर पालिक निगम् रायगढ़ (जो इसके पश्चात् कही जावेगी) के मध्य की ठेकेदार ने दिनांक 19.7.2015 .... को नगर निगम् रायगढ़ अनुबंध करने पुर्ति करने, देने, बनाये रखने हेतु नगर निगम् कार्यालय को प्रदान किये जाने के लिये निविदा दी है और यहज कि निविदा आयुक्त नगर पालिक निगम् रायगढ़ / निविदा समिति / महापौर द्वारा स्वीकृत की गई है और यह कि आवश्यक है कि इस ठेके के संबंध में विहित प्रारुप में लिखित दस्तावेज के रुप में लिखा जाना अनिवार्य है। अतः इसके संबंध में यह करार किया जाता है कि :–

1. ठेकेदार निम्नांकित शर्तो के अनुसार कार्य अनुसूची में वर्णन के अनुसार और उसमें दर्शाये गये भुगतान के बदले में पुरा करेगें।
2. दस्तावेज में संनिविष्ट ठेका निविदा में दर्शायी गई ठेके संबंधी प्रविष्टियों और उसकी स्वीकृति के प्रतिस्थापना स्वरुप होगा। ओर इन शर्तो के विपरीत होने पर ठेका प्रवित्तिहीन होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम-रायगढ़ (छ.ग.)

FOR Sunny Security Services
Proprietor

(80)

3 प्लेसमेंट के कर्मचारियों की प्रातः कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, सायं कार्य समाप्त होने के उपरांत अर्थात् दो बार बायोमैट्रिक उपस्थिति ली जाना अनिवार्य होगा।

4 बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही प्लेसमेंट कर्मचारियों को मासिक परिश्रमिक उनके बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. द्वारा स्थानांतरित किया जावेगा। ई.पी.एफ., ई.एस.सी.आई. आदि की भी गणना कर प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा एवं बैंक द्वारा आर.टी.जी.एस. की गई राशि की मूल रसीद प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा निकाय को प्रस्तुत की जावेगी, निकाय द्वारा संविदा शर्तों के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान/प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।

5 श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है।

6 प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा अपने श्रमिकों के स्वास्थ्य का पर्याप्त ध्यान रखना होगा तथा बीमा संबंधी पंजीयन कराना होगा।

7 प्लेसमेंट एजेंसी को भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्य विभागों के नियमों/अधिनियमों का पालन करना होगा। श्रमिकों को होने वाली हानि व किसी प्रकार के दावा के लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा।

8 कार्य संपादन का देयक मासिक भुगतान किया जावेगा। जिसमें शासन के द्वारा सभी नियमों का पालन प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किया जावेगा।

9 नगर पालिक निगम के आयुक्त द्वारा किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर उक्त प्लेसमेंट एजेंसी के कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है।

10 समय-समय पर शासन द्वारा श्रमिकों के संबंध में जारी आदेश पर प्लेसमेंट एजेंसी को पालन करना अनिवार्य होगा।

11 प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा बीच में कार्य छोड़े जाने/हटाये जाने पर उसी दर पर अन्य प्लेसमेंट एजेंसी से सहमति पत्र लेकर कार्य कराया जा सकेगा एवं इस संबंध में प्लेसमेंट एजेंसी की कोई भी आपत्ति दावा विधि मान्य नहीं होगी।

12 निविदा को छ.ग. श्रम अधिनियम न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

13 निविदा की शर्तें एवं नियम अनुबंध का एक भाग होगा।

14 प्लेसमेंट कर्मचारियों को जिला कलेक्टर द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

15 कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से 100/- रू. नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर में समय वृद्धि की जा सकती है।

16 यदि प्लेसमेंट एजेंसी को अनुबंध के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निपटारा आर्बीट्रेटर (Arbitrator) द्वारा किया जावेगा। जिसकी नियुक्ति आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा की जावेगी और इसका क्षेत्राधिकार नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सम्पूर्ण सीमा होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम-रायगढ़ (छ.ग.)

FOR Sunny Security Services
Proprietor

17 सफाई कार्य की अवधि 8 घंटे की रहेगी। कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति दिन में दो बार प्रातः 6:00 बजे एवं दोपहर 2:00 बजे ली जावेगी।

18 अनुबंधकर्ता को छ.ग. में प्रचलित लेबर एक्ट की धाराओं एवं ई.एस.सी.आई. नियमों का पालन करना होगा एवं उसके लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा।

19 किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त/महापौर का निर्णय सर्वमान्य होगा।

For Sunny Security Services

Proprietor

गवाहों के हस्ताक्षर

1

2

प्लेसमेंट एजेंसी संचालक
के हस्ताक्षर

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)